न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

पीठासीन अधिकारी—मांगीलाल आर.ए.एस.

वादपत्र अन्तर्गत धारा:—88 आरटीए

प्रकरण संख्या:—351/2020

1.कालूराम } पि0 कानाराम जाति जाट निवासी वेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद
2.हरीराम } जिला सिरसा। वादीगण

बनाम

1.कानाराम पुत्र गणेशाराम } जाति जाट निवासीयान वेहरवाला खुर्द तहसील
2.सावित्री पत्नी कानाराम } ऐलनावाद जिला सिरसा।

3.गंगा पत्नी टीकूराम पुत्री कानाराम } जाति जाट निवासीयान रातूसर तहसील
4.रोशनी पत्नी सोहनलाल पुत्री कानाराम } नोहर जिला हनुमानगढ।

5.तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री महावीरप्रसाद वर्मा अधिवक्ता वादीगण

श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 12.01.2021

वादीगण कालूराम आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी सं0 1 कानाराम के नाम से चकनं0 3 बी आर डबलयू के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 34/22 में कुल 2.2140 है0 आराजी नहरी मय गै0मु0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादीसं0 1 को वादीगण के दादा से प्राप्त आराजी है जिसमें हम वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी का हम वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में वाद पत्र कीदफा 3 मे दर्ज आराजी में से प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया था तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादीगण को बटवारां में अपने नाम से दर्ज वाद पत्र की दफा 3 में अंकित आराजी ब0हि0ब0 वादीगण को दे दी थी। जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अब वादीगण द्वारा अपनी आराजी का वादपत्र की दफा 4 के अनुसार आपस में पारिवारिक समझौता के तहत विभाजन कर लिया है। वादपत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार हम वादीगण अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन उपरोक्त आराजी वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।इसलिए वादीगण वादपत्र की दफा 4 के अनुसार भूमि अपने नाम से अंकन करवाकर अपनी भूमि का खाता अलग से कायम करवाकर चकनं0 3 बी आर डबल्यू के खाता सं0 34/22 मे से प्रतिवादी सं0 1 कानाराम का नाम कलमजन करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही विनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के वाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादीसं0 1 को विरासतन प्राप्त आराजी है। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी में से हम प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया था तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादीगण को बटवारां में अपने नाम से दर्ज वाद पत्र की दफा 3 में अंकित आराजी ब0हि0ब0 वादीगण को दे दी थी। जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अब वादीगण द्वारा अपनी आराजी का आपस में पारिवारिक समझौता के तहत वादपत्र की दफा 4 के अनुसार विभाजन कर लिया है।वादपत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार वादीगण अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नंहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है। इसलिए वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाकर खाता अलग से कायम किया जाकर चकनं0 3 बी आर डबल्यू के खाता सं0 34/22 मे से प्रतिवादीसं0 1 कानाराम का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम प्रतिवादीगण इससे पूर्णतया सहमत है।जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई।वादी कालूराम द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र,वारिसनामा, वारिसनामा बाबत स्टाम्प व पैतृक सम्पति बाबत चक 3 बी.आर डबल्यू के खाता सं0 83 के जमाबन्दी संवत 2033 ता 42 की जमाबन्दी की प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादीगण के नाम अंकन करने का निवेदन किया गया। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिस बावत वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति बाबत चक 3 बी. आर डवल्यू के खाता सं0 83 के जमावन्दी संवत 2033 ता 42 की जमाबन्दी की प्रति पेश की है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है।वादी का वाद पूर्णतया सावित है।मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

वहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा,शपथ पत्र, वारिसनामा, स्टाम्प पैतृक सम्पति वावत जमावन्दी की प्रति का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादीगण द्वारा जो दस्तावेज जमावन्दी, शपथ पत्र वारिसनामा, पैतृक सम्पति बाबत दस्तावेज पैतृक सम्पति वावत चक 3 वी.आर डवल्यू के खाता सं0 83 के जमाबन्दी संवत 2033 ता 42 की जमावन्दी की प्रति व प्रस्तुत जवावदावा के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताविक जवाबदावा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताविक जवावदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीगण सावित करने में सफल रहा है। वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि क.वादी सं0 1 कालूराम को चकनं0 3 बी आर डबलयू के प0न0 231/322 मु0 101 किलानं0 12,19,/.506, 20/1/.228, 20/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 21/1/.228, 21/2/.025 है0 खाला, 22/3/.095 है0 ख.वादीसं0 2 हरीराम को चक 3 बीआर डबल्यू के प0न0 231/322 मु0 101 किलानं0 13,14,17,18/1.012 है0, 22/2/.095 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वादीगण की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने व चकनं0 3 बी आर डबल्यू के खाता सं0 34/22 मे से प्रतिवादीसं0 1 कानाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) टिब्बी

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–351 /2020

1.कालूराम } पि0 कानाराम जातिं जाट निवासी बेहरवालां खुर्द तहसील ऐलनाबाद
2.हरीराम } जिला सिरसा।

वादीगण

बनाम्

1.कानाराम पुत्र गणेशाराम } जाति जाट निवासीयान बेहरवाला खुर्द तहसील
2.सावित्री पत्नी कानाराम } ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3.गंगा पत्नी टीकूराम पुत्री कानाराम } जाति जाट निवासीयान रातूसर तहसील
4.रोशनी पत्नी सोहनलाल पुत्री कानाराम } नोहर जिला हनुमानगढ।
5.तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील महावीर प्रसाद वर्मा वादीगण मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि क.वादी सं0 1 कालूराम को चकनं0 3 बी आर डबलयू के प0न0 231/322 मु0 101 किलानं0 12,19,/.506, 20/1/.228, 20/2/.025 हे0 गै0मु0 खाला, 21/1/.228, 21/2/.025 है0 खाला, 22/3/.095 है0 ख.वादीसं0 2 हरीराम को चक 3 बीआर डबल्यू के प0न0 231/322 मु0 101 किलानं0 13,14, 17,18/1.012 है0, 22/2/.095 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वादीगण की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने व चकनं0 3 बी आर डबल्यू के खाता सं0 34/22 मे से प्रतिवादीसं0 1 कानाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X....निल....X...मुब्लिक...X..निल.....X...बाबत्.......X.....निल.......X..खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.01.2021 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी